प्रश्न सं. [क्र. 911]

परिशिष्ट

विधानसभा तांराकित प्रश्न क्रमांक –911

व्दारा माानीय विधायक– श्री शरद जुगलाल कोल

प्रश्नांश (क) का उत्तर

अनुपपूर जिला– शहडोल संभाग के अनुपपूर जिले में वर्ष 2018 से अवैध परिवहन/अवैध भण्डारण/अवैध उत्खनन व्दारा जब्त खनिजों जैसे कोयला, रेत बाक्साईट व पत्थर किसी भी विभाग व्दारा नही रखे गए है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नही होता है। उल्लेखनीय है कि जिला अंतर्गत लावारिस रूप से 08 स्थानों से जब्त खनिज रेत मात्रा लगभग 3154 घ0 मी0 को मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम–2019 के प्रावधानों के तहत राजसात किया जाकर नियमानुसार जिले के सफलतम निविदाकार मेसर्स के0 जी0 डेवलपर्स भोपाल को जिले में प्रचलित खनिज रेत के राज्यांश की अग्रिम राशि जमा किये जाने की शर्त पर निर्वतन हेतु अनुमति प्रदान की गई है। उक्त प्रक्रिया में 04 प्रकरणों में शासन को खनिज राजस्व के रूप में रूपये 3,66,834/– की प्राप्ति हुई है तथा शेष 04 प्रकरणों में रूपये 2,47,283/– की प्राप्ति संभावित है।

शहडोल जिला– शहडोल संभाग के शहडोल जिले में वर्ष 2018 से अवैध परिवहन/अवैध भण्डारण/अवैध उत्खनन व्दारा जब्त खनिजों जैसे कोयला, बाक्साईड व पत्थर किसी भी विभाग व्दारा नही रखे गये है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नही होता है। उल्लेखनीय है कि जिला अन्तर्गत लावारिस रूप से 36 स्थानों सें जब्त खनिज रेत मात्रा लगभग 7220 घन मीटर को म.प्र. खनिज साधन, विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 19–6/2016/12/2 दिनांक 29–4–2016 के द्वारा जब्त रेत के निवर्तन के परिपेक्ष्य में ई आक्शन के माध्यम से एवं म.प्र. खनिज साधन, विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 19–6/2016/12/2 दिनांक 26–5–2020 व मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन,भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के प्रावधानो के तहत राजसात किया जाकर नियमानुसार जिले के सफलतम निविदाकार मेसर्स वंशिका कान्स्ट्रक्शन देवी (राजमार्ग) जिला नरसिंहपुर को जिले में प्रचलित खनिज रेत के राज्यांश की अग्रिम राशि जमा किये जाने की शर्त पर अनुमति प्रदान की गई है। उक्त प्रक्रिया में 11 प्रकरणो में शासन को खनिज राजस्व के रूप में रूपयें 4,21,822/– की राशि प्राप्त हुई है ।

उमरिया जिला– शहडोल संभाग के उमरिया जिले में वर्ष 2018 से अब तक राजस्व व खनिज विभाग व्दारा अवैध उत्खनन/भण्डारण के कारण कुल 596 रेत व 1.8 मी0 टन कोयला जप्त किया गया। जप्त रेत में से 310 घन मीटर को नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों को उनकी मॉग के आधार पर उनके निर्माण कार्य हेतु दिया गया है। शेष खनिज रेत व कोयलो की नीलामी न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष्य में की जावेगी। अतः नीलामी से जमा राशि निंरक है।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग